जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 10562 / 2026 दिनांकः 21 सितम्बर, 2026

कार्यालय आदेश

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, **के पत्र संख्या–C2229 / 2026 / स0क0 / शिक्षा–अ / 8 / C.N.–1319383 / 2026–27, दिनांक 16 सितम्बर, 2026 (संलग्न)** के अनुपालन के क्रम में **वित्तीय वर्ष 2026–27 दशमोत्तर छात्रवृत्ति (उच्च शिक्षा) योजनान्तर्गत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग** के छात्र/छात्राओं हेतु महाविद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होन वाले छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन एवं आवेदनों को संस्थाओं एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा अग्रसारित किये जाने से लेकर नियमानुसार छात्रवृत्ति का आवेदन एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में **संशोधित समय–सारणी** जारी की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत्त है:–

क्र.स.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि / दिनांक
01	महाविद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्त सूचनायें भर कर अपलोड करते हुए तैयार करना	22.07.2026 से 26.09.2026 तक
02	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा समस्त महाविद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	23.07.2026 से 27.09.2026 तक
03	नवीनीकरण (Renewal) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन करना, हार्ड कॉपी वांछित संलग्नकों सहित महाविद्यालयों में जमा किया जाना।	15.09.2026 से 15.10.2026 तक
04	शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15.09.2026 से 25.10.2026 तक
05	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना।	15.09.2026 से 05.11.2026 तक
06	नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन करना।	15.09.2026 से 31.10.2026 तक
07	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना।	16.09.2025 से 02.11.2026 तक
08	छात्र द्वारा हार्ड कॉपी वांछित संलग्नकों सहित महाविद्यालयों में जमा किया जाना।	16.09.2025 से 04.11.2026 तक
09	शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करके पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16.09.2025 से 10.11.2026 तक
10	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना।	16.09.2026 से 25.11.2026 तक

(डॉ0 छबिलाल)
नोडल अधिकारी, डिजिशक्ति पोर्टल

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. माननीय कुलपति जी।
02. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
03. सहायक कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्याल, बलिया।
04. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
05. अधिष्ठाता छात्र कल्याण संकाय, विश्वविद्याल परिसर।
06. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
07. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
08. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
09. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.inE-mail :- jncuballia@gmail.com

संशोधन द्वितीय

प्रेषक

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक (आई0टी0),
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य ईकाई,
योजना भवन, लखनऊ।

पत्रांक-C-2229 /स0क0/शिक्षा-अ/8/C.N.-1319383/2026-27

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का संशोधित शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-91/2026/1941/26-3-2026-1741061 दिनांक 20-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओ में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओ को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी निर्गत किया गया है।

2- कतिपय जनपदो के समाज कल्याण अधिकारियों / विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा तकनीकी समस्याओं से अवगत कराते हुये मास्टर डाटा लाक करने की अवधि विस्तारित किये जाने के क्रम में निदेशालय पत्रांक-सी- 2010 दिनांक 01-09-2026 द्वारा वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमो का प्रदेश के अन्दर राजकीय, अनुदानित व निजी एवं वाह्य प्रदेशो में संचालित राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओ के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध शासन से किया गया है। उक्त क्रम में शासन के पत्र संख्या- 2383/26-3-2026-1741061 दिनांक 08-09-2026, जोकि आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी अपरिहार्य अथवा तकनीकी या अन्य कारण से समय-सारिणी में वर्णित गतिविधि के विषय में पोर्टल पर कार्यवाही हेतु यदि कोई संशोधन अथवा समयावधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उक्त विषयगत कार्यवाही के लिये समस्त अधिकार प्रतिनिधानित किया जाता है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर राजकीय, अनुदानित व निजी एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओ के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु संशोधित समय सारिणी निम्नवत है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3

Scanned with OKEN Scanner

मास्टर डाटा		
1	**<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना।</u>** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा मे पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	**22 जुलाई 2026 से 26 सितम्बर 2026 तक**
2	**<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u>** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	**23 जुलाई 2026 से 27 सितम्बर 2026 तक**
3	<u>मास्टर डाटा का सत्यापन</u> समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों मे उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लाक किया जायेगा। राजकीय / अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लाक की गयी सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक किया जायेगा।	25 जुलाई 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक
4	<u>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना।</u> मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	25 जुलाई 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक

उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) के <u>छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया।</u>

Scanned with OKEN Scanner

1	छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना।	15 सितम्बर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक
2	शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा ऑनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करना	15 सितम्बर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक
3	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा कॉलेजवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	15 सितम्बर 2026 से 5 नवम्बर 2026 तक
4	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	06 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक
	<u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)</u>	
5	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> <u>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।</u>	21 नवम्बर 2026 से 26 नवम्बर 2026 तक
6	<u>मांग सृजन</u> संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	27 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक
7	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	01 दिसम्बर 2026 से 10 दिसम्बर 2026 तक
	संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही	
8	<u>एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि</u>	21 नवम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक
9	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u>	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक

Scanned with OKEN Scanner

	संदेहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	
10	संदेहास्पद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना	1 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
11	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	11 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक
12	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	16 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक
उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से उच्चतर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया।		
1	नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/आनलाइन आवेदन करना	15 सितम्बर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक
2	छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना	16 सितम्बर 2026 से 2 नवम्बर 2026 तक
3	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	16 सितम्बर 2026 से 4 नवम्बर 2026 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना,अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 सितम्बर 2026 से 10 नवम्बर 2026 तक
5	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा वर्षवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	16 सितम्बर 2026 से 25 नवम्बर 2026 तक
6	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	26 नवम्बर 2026 से 05 दिसम्बर 2026 तक

Scanned with OKEN Scanner

संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)		
5	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	06 दिसम्बर 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक
6	मांग सृजन संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	16 दिसम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक
7	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।	21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक
एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही		
8	संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि	6 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी त्रुटिरहित किये गए सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को सही एवं सत्यापनोपरांत एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	01 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक
10	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	11 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक
11	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	21 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक
12	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर वर्तमान नियमों का पालन करते हुए छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः-

1. विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक की कार्यवाही । संस्था, सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी /जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी ।
2. समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों के नवीनीकरण आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही की जायेगी।
3. उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) का परीक्षाफल न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा । उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल, नामांकन संख्या (Enrollment Number) व उपस्थिति को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लागिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।
7. किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा । आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा । किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा । शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
8. मण्डल स्तर से छात्र/छात्रों का डाटा ब्लॉक (नवीनीकरण होने पर) करने पर उक्त डाटा को ब्लॉक के साथ मांग (Demand Data) से भी ब्लॉक कर दिया जाए ताकि किसी छात्र/छात्रा का दोहरा भुगतान न होने पाए।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार पोर्टल खोलने एवं समय-सारिणी को अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय
Digitally signed by
SANJEEV SINGH
Date: 16-09-2026
14:29:25
(संजीव सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 ।
2- निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ जनजाति विकास विभाग।

Scanned with OKEN Scanner

3- समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by
ANAND KUMAR SINGH
Date: 16-09-2026
15:23:35

(आनन्द कुमार सिंह)
उप निदेशक

Scanned with OKEN Scanner